

पुनश्च: दिनांक 11.01.2018

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त माना उर्फ भगवानसिंह का गिर0 वारंट उसके मृत्यु प्रमाण पत्र की थाना प्रभारी द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि सहित इस टीप के साथ प्राप्त हुआ कि अभियुक्त भगवानसिंह की मृत्यु हो चुकी है।

अभियुक्त की मृत्यु हो जाने के संबंध में संबंधित थाना द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके संबंध में अभियोजन द्वारा कोई संदेह का आधार न होना बताया गया है।

अतः अभियुक्त के मृत हो जाने के कारण उसके विरुद्ध कार्यवाही उपशमित हो जाती है।

आगामी दिनांक 27.02.18 निरस्त की जाती है।

प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति पूर्व से सुपुर्दगी पर है। सुपुर्दगीनामा बंधनमुक्त हो।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्जकर संचयन हेतु अभिलेखागार प्रेषित हो।

सही/—

**(A.K.Gupta)**

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt.Bhind (M.P.)